निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

132 जैसलमेर विधानसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री **रूपाराम,** गांव पोस्ट – चेलक, तहसील – फतेहगढ, जिला – जैसलमेर, 345001 जो **इंडियन नेशनल कांग्रेस** (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान — जैसलमेर तारीख — 11.12.2018



(विकास रोजपुरोहित)
रिटर्निंग ऑफिसर
132 जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर)
(विकास राजपुरोहित)
रिटर्निंग अधिकारी
(एस.डी.एम.)जैसलमेर

वि स नि.क्षेत्र जैसलमेर-132

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from the (132) Jaisalmer Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that --

Mr. ROOPARAM, VILLAGE & POST – CHELAK, TEHSIL FATEHGARH, DISTRICT JAISALMER-345001 sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – JAISALMER

Dated - 11-12-2018

(VIKAS RAJPUROHIT)

Returning Officer

132 - Jaisalmer Assembly Constituency

(S.D.M. Jaisalmer) (विकास राजपुरोहित) रिटर्निंग अधिकारी

(एस.डी.एम.)जैसलमेर विस नि.क्षेत्र जैसलमेर-132